न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 38/2023
अनवान : –

1. शांति पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. जयसिंह पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा गोदारा अधिवक्ता **प्रार्थी**
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **अप्रार्थी**
श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांक: 26/9/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 146/146 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि गैरसायल सं0 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 व सायला के मृतक पति की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

पक्षकारान विवादित भूमि को मुश्तरका ही काश्त करते है व रकम राज अदा करते आ रहे है सायला के पति का स्वर्गवास हो चुका है तथा सायला के पति के स्वर्गवास के बाद रोही मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 146/146 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में से 3/8 हिस्सा भूमि जो कि सायला के मृतक पति के नाम दर्ज है में सायला व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 बहिब खातेदार काश्तकार है।

वादग्रस्त भूमि का खाता व लगान मुश्तरका है जिससे लगान काश्त काश्त व सींव का झगड़ा रहता है इसलिए सायला मुताबिक हक व हिस्सा व किस्म अनुसार अच्छी में से अच्छी व माड़ी में से माड़ी के अनुसार खाला व लगान तकसीम करवाकर अलग से खाता व लगान अलग से तकसीम करवाने के अधिकारी है।

विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने से गैरसायल न0 1 के मन में बेईमानी आ गई है एवं वे विवादित भूमि को बिना खाता विभाजन करवायें अच्छी की भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को रहन, बैय करने की सरअंजाम [illegible] है यदि गैरसायल न0 1 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायला को [illegible] जिसकी पूर्ती बाद में किसी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:36:21 IST
Reason: SelfAttested

भी प्रकार से सम्भव नही है इसलिए सायला गैरसायला संख्या 1 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने के अधिकारी है।

सायला ने गैरसायल संख्या 1 को कई मर्तबा कहा कि विवादित भूमि किस्म अनुसार अच्छी में से अच्छी व माडी में से माडी के अनुसार खाता व लगान तकसीम करवा ले कुछ दिन तो आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायल संख्या 1 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा पारित कि जावे की विवादित भूमि रोही मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 146/146 की 6.0720 हैक्ट भूमि का खाता विभाजन हुए बिना रहन, बैय व मुन्तकिल न करें एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि रोही मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 146/146 की कुल 6.0720 हैक्ट वाद भूमि की आगामी तारीख पेशी तक रहन बैय व मुन्तकिल न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की अप्रार्थी द्वारा कोई विशेष हिस्से का बेचान नही किया जा सकात राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हिस्से का बेचान किया जा सकता है उत्तरदाता को परेशान करने की नियत से दावा व दरख्वास्त पेश कि गई है जो कि खारिज योग्य है। उक्त वाद भूमि उत्तरदाता की खरीद शुदा भूमि है जिसे उत्तरदाता को रहन, बैय अथवा मुन्तकिल करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी के हिस्से में कोई हक व हिस्से की मांग नही कि गई है। दावा केवल खाता विभाजन का है जिसमें हिस्सा को रहन, बैय व मुन्तकिल करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की वाद भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जब तक खाता विभाजन नही हो जाता तब तक अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करें तथा निर्माण कार्य न करें एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि में प्रार्थीया का पिता एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज है। दावा खाता विभाजन का है अप्रार्थी द्वारा किसी विशेष हिस्से का बेचान नही किया जा रहा है केवल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हक व हिस्सा का बेचना किया जा रहा है, कोई भी खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का रहन, बैय करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:56:21 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का पिता एवं अप्रार्थीगण मुश्तकरका खातेदार काश्तकार है जिनके खाता विभाजन का बिन्दु वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्धारित होगा, प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखना देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 146/146 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि शामिल खाते में प्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। उभयपक्ष रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थी द्वारा केवल अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है अतः अप्रार्थी को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 26/9/27 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:56:21 IST
Reason: SelfAttested